



2026:AHC-LKO:22367-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट-सी संख्या - 2907 वर्ष 2026

अब्दुल हलीम

याचिकाकर्ता(गण)

.....

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, शहरी विकास

लखनऊ एवं 2 अन्य

प्रतिवादीगण(गण)

.....

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

: मोहम्मद तनवीर रज़ा

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता
चौहान

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शैलेन्द्र सिंह

न्यायालय संख्या-1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला

1. श्री शंकर दुबे, अधिवक्ता ने विरोधी पक्षकार संख्या 2 एवं 3 की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया। वह अभिलेख पर लिया जाता है।

2. मो० तनवीर रज़ा, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता तथा विरोधी पक्षकार संख्या 2 एवं 3

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की ओर से श्री सिद्धार्थ शंकर दुबे, जिनकी सहायता श्री आदेश पाण्डेय, विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई को सुना।

3. हमने इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा रिट याचिका संख्या 28454 वर्ष 2021 में पारित दिनांक 06.12.2021 के निर्णय एवं आदेश का अवलोकन किया है, जो निम्नवत् है:-

"विरोधी पक्षकार संख्या 1 से 3 की ओर से सुश्री प्रियंका सिंह, विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर लिया जाता है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा विरोधी पक्षकार संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित हुई सुश्री प्रियंका सिंह, विद्वान अधिवक्ता को सुना।

विरोधी पक्षकार संख्या 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए प्रत्यावेदन के प्रत्युत्तर में रुपये 3,49,405.54 की राशि के लिए एक नवीन आकलन पहले ही किया जा चुका है। तथापि उक्त आदेश अभी तक याचिकाकर्ता को संप्रेषित नहीं किया गया है। यह राशि इस रिट याचिका के संलग्नक संख्या 1 में निहित सूचना से परिलक्षित होती है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत सूचना याचिकाकर्ता को जारी नहीं की गई जो वर्तमान में भवन पर अधिभोग रखे हुए है। स्वीकारतः, वर्तमान में उक्त भवन याचिकाकर्ता के अधिभोग में है।

अतएव, हम यह याचिकाकर्ता के लिए खुला छोड़ते हैं कि वह प्रश्नगत भवन के संबंध में अपने कब्जे की स्थिति को स्पष्ट करने हेतु रिट याचिका के संलग्नक 1 में निहित सूचना के प्रत्युत्तर में अपना उत्तर दाखिल करे तथा विधि के अंतर्गत उसके लिए उपलब्ध सभी आधार ले।

यदि आज से दस दिन की अवधि के भीतर प्रश्नगत सूचना के प्रति उत्तर दाखिल किया जाता है, तो विरोधी पक्षकारों यथाशीघ्र तथा अधिमानतः उत्तर प्रस्तुत करने की तिथि से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर उपयुक्त निर्णय करेंगे।

विरोधी पक्षकार याचिकाकर्ता के इस कथन का निराकरण करेंगे कि वह वर्ष 2012 से प्रश्नगत भवन पर काबिज हुआ है तथा विधि के अनुसार आवश्यक आदेश पारित करेंगे। प्रश्नगत सूचना के प्रति उत्तर प्रस्तुत करते समय, याचिकाकर्ता रुपये 1.5

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

लाख जमा करेगा, जिसका अंतिम आदेश पारित करते समय निर्धारण किया जाएगा। जमा की गई राशि की तुलना में यदि आकलित देयता कम पाई जाती है, तो शेष राशि, यदि कोई हो, याचिकाकर्ता को बिना किसी विलंब के वापस की जाएगी।

याचिका तदनुसार निस्तारित की जाती है।"

4. याचिकाकर्ता का यह दावा है कि उसने उसमें संदर्भित सूचना के प्रति उत्तर प्रस्तुत किया, किन्तु परिसर के सील किए जाने के कारण वह उस को प्रस्तुत करने में असमर्थ है। तथापि, वह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि इसे ऑनलाइन प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि हस्तगत रूप से प्रस्तुत किया गया।

5. लखनऊ नगर निगम के विद्वान अधिवक्ता कहते हैं कि उत्तर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिसके उपरांत उस पर विचार किया जाएगा तथा दिनांक 06.12.2021 के निर्णय एवं आदेश के अनुपालन में निर्णय लिया जाएगा।

6. विवाद, जैसा कि हम समझ सके, यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता प्रश्नगत परिसर का पश्चातवर्ती अधिभोगी है तथा पूर्ववर्ती अधिभोगी- रॉय कोचिंग के नाम पर उत्पन्न देयों के विपरीत वह लखनऊ नगर निगम को नगर करों का भुगतान करने का दावा करता है। मुख्य विवाद यह है कि पश्चातवर्ती अधिभोगी होने के कारण, यदि अन्यथा नगर निगम अधिनियम, 1959 के अंतर्गत अनुमन्य हो, तो नगर करों के भुगतान हेतु अभिलेखों में याचिकाकर्ता का नाम प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

7. विवाद का निस्तारण हो जाएगा यदि याचिकाकर्ता को दिनांक 06.12.2021 के निर्णय एवं आदेश में संदर्भित सूचना के प्रति आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है, जिसके उपरांत नगर निगम में सक्षम प्राधिकारी याचिकाकर्ता के आपत्तियों पर विचार करेगा तथा एक विचारोपरांत निर्णय करेगा, न केवल विधि के अनुसार जितना अनुमन्य हो अभिलेखों में याचिकाकर्ता के नाम के समावेशन के संबंध में, बल्कि दिनांक 06.12.2021 के निर्णय एवं आदेश में संदर्भित सूचना में उल्लिखित अवधि एवं राशि के लिए नगर करों के भुगतान के संबंध में उसकी देयता के संबंध में भी। तदनुसार आदेशित किया जाता है। यह निर्णय यथाशीघ्र, अर्थात् याचिकाकर्ता द्वारा ऐसे उत्तर को ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो सप्ताह की अवधि के भीतर लिया जाएगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. उपर्युक्तानुसार लिए गए निर्णय के आधार पर प्रश्नगत परिसर के सील किए जाने के संबंध में परिणाम अनुसरित होंगे।
9. अंतरिम अवधि में, यदि अन्यथा विधि के अंतर्गत अनुमन्य हो, तो याचिकाकर्ता के लिए यह खुला रहेगा कि वह प्रश्नगत परिसर की सीलबंदी निरस्त कराने के लिए नगर निगम में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करे।
10. उपर्युक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला) (न्यायमूर्ति राजन राय)

31 मार्च, 2026

आर.के.पी.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।